इण्टरमीडिएट परीक्षा १९७८

वैदिक टैक्नी० एवं औद्योगिक इण्टर कालेज, दिव्यपुरी (दिवियापुर) इटावा

संख्या २१६ माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद दिनांक [illegible]

संस्थागत / व्यक्तिगत परीक्षार्थी [illegible] अनुक्रमांक [illegible]

द्वारा परिषद् की इण्टरमीडिएट की परीक्षा, १९७८ में विभिन्न विषयों में प्राप्त किये गये अंकों का विवरण [illegible]

परीक्षार्थी द्वारा लिये गये विषय	विषय के निर्धारित अंक	प्रथम प्रश्न पत्र	द्वितीय प्रश्न पत्र	तृतीय प्रश्न पत्र	अनुकोष	क्रियात्मक	वाणिज्य प्रथम: अनुमोदित हिन्दी अंक जो	वाणिज्य प्रथम: अनुकोष: सिद्धान्त	वाणिज्य प्रथम: अनुकोष: क्रियात्मक	वाणिज्य द्वितीय: न.सु. हिन्दी/अंक जो: प्रथम प्रश्न-पत्र	वाणिज्य द्वितीय: न.सु. हिन्दी/अंक जो: द्वितीय प्रश्न-पत्र	वाणिज्य द्वितीय: न.सु. हिन्दी/अंक जो: अनुकोष	वाणिज्य द्वितीय: अनुकोष: प्रथम प्रश्न-पत्र	वाणिज्य द्वितीय: अनुकोष: द्वितीय प्रश्न-पत्र	वाणिज्य द्वितीय: अनुकोष: तृतीय प्रश्न-पत्र	वाणिज्य द्वितीय: अनुकोष: चतुर्थ प्रश्न-पत्र	वाणिज्य द्वितीय: अनुकोष: अनुकोष	विषय योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
१ सादि मामा हिन्दी	१००	१६	१६	१५														४९
२ सौ० वि०	१००	१५	१४		२९	२४												५३
३ रसा० वि०	१००	०९	११		२०	२३												४३
४ गणित	१००	२३	२३	२१														६६
५ संस्कृत	१००	१५	१३	१९														४६
६																		

सम्पूर्ण प्राप्तांक शब्दों तथा अंकों में [illegible]

परीक्षाफल (प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी या अनुत्तीर्ण)	कुरांक	विशेष योग्यता	यदि सम्मान सहित उत्तीर्ण है तो यहां उल्लेख कीजिये	क्या पूरक परीक्षा का अधिकारी है? हां तो विषय	[illegible]
द्वितीय	१	x	x	x	x

नोट—प्राप्तांक के आधार पर परीक्षाफल का निर्णय ठीक हुआ है अथवा नहीं, इसकी जांच परीक्षार्थी नीचे दिये नियमों के आधार पर स्वयं भी करलें और यदि कोई त्रुटि हो तो प्रधानाचार्य केन्द्र व्यवस्थापक से तुरन्त सम्पर्क स्थापित करके उसका निराकरण करालें अन्यथा भूल सुधार में विलम्ब हो सकता है जो परीक्षार्थी के लिए अहितकर होगा। परिषद कार्यालय में जांच के फलस्वरूप यदि कोई त्रुटि पाई जायेगी तो उसकी सूचना तुरन्त ही प्रधानाचार्य केन्द्र व्यवस्थापक को दी जायेगी और वे सम्बन्धित परीक्षार्थी को इसकी सूचना देंगे।

परीक्षा-फल सम्बन्धी नियम

(१) प्रत्येक विषय के न्यूनतम उत्तीर्णांक ३३ प्रतिशत हैं जिन विषयों में क्रियात्मक परीक्षा होती है उनमें लिखित तथा क्रियात्मक परीक्षा के लिए अलग अलग न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित हैं।

(२) उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से कम अंक नहीं होने चाहिये। निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम होने पर प्राप्तांक वृत्त के भीतर किये जाते हैं।

(३) किसी विषय में ७५ प्रतिशत अंक पाने पर विशेष योग्यता मिलती है, सम्पूर्ण योग का ७५ प्रतिशत प्राप्तांक होने पर सम्मान सहित उत्तीर्ण घोषित होता है।

(४) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांक योग सम्पूर्ण निर्धारित अंकों का क्रमशः ६०, ४५ एवम ३३ प्रतिशत होना चाहिये।

(५) यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा वह एक विषय में अनुत्तीर्ण है। तो वह उस विषय में पूरक परीक्षा का अधिकारी होगा।

(६) पूरक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले सभी परीक्षार्थी स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी नहीं होंगे। केवल वे परीक्षार्थी जो केवल एक विषय में २८ प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं वे पूरक परीक्षा के अधिकारी घोषित होने के साथ ही साथ स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी होंगे। इसकी उत्तर-पुस्तकों का अंकानुसंधान निःशुल्क होगा।

[illegible] 16.7.78

प्रधानाचार्य

[illegible] के हस्ताक्षर [illegible]

वैदिक टैक्नी० प्रधानाचार्य

दिव्यपुरी [illegible] इटावा

वाचकर्ता के हस्ताक्षर [illegible]